अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/31/2023-2024 **09 अगस्त, 2023**

सेवा में,

श्री सीताराम पंडित,
वार्ड न. 20 नगर परिषद,
पोस्ट-थाना एवं जिला-मधेपुरा,
बिहार-852113

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपका दिनांक 14.07.2023 का पत्र इस सचिवालय में 21.07.2023 को प्राप्त हुआ है, जिसके साथ दस रूपये का पो॰आ॰सं॰ 60एफ़ 392607 संलग्न कर आपने अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आप के द्वारा भेजा गया आवेदन उप-राष्ट्रपति सचिवालय में 23.05.2023 को प्राप्त हुआ था। आप के आवेदन के समय सचिवालय में अभिलेखों इत्यादि के स्थानांतरण का कार्य चल रहा था, जिस के कारण आपका उक्त आवेदन मिल नहीं पा रहा है। आप के आरटीआई आवेदन पत्र पर दिये गए दोनों फोन नंबरों पर अनेक बार संपर्क किया गया, परंतु उनमें से एक नंबर बंद था तथा एक नंबर पर किसी ने फोन नहीं उठाया।

अतः आपको परामर्श है कि आप अपना आवेदन इस सचिवालय में पुनः प्रेषित करें, सचिवालय के दिशा निर्देश के अनुसार आप के आवेदन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rticell-vps@nic.in

RTI No. 31
File

प्रपत्र क

सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र

आई० डी० सं०–

कार्यालय प्रयोग के लिए

302
21/7/23

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी लोक सूचना पदाधिकारी सह महामहिम उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा अध्यक्ष - भारत सरकार महामहिम उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा कार्यालय भारत-सरकार नई दिल्ली

(विभाग / कार्यालय)

1. आवेदक का नाम सीताराम पंडित - अधिवक्ता - प्रदेश उपाध्यक्ष - बिहार -
2. पूरा पता कुम्हार (प्रजापति) समन्वय समिति - पटना - वार्ड नं० - 20 नगरपरिषद पो० थाना - व जिला - मधेपुरा बिहार पि० 852113
3. माँगी गई (सूचना का ब्यौरा) संक्षेप में

महामहिम महोदय,

मैं जानना चाहता हूँ कि श्रीमान को दिनांक - 19/05/2023 ई० को निबंधित डाक से एक आवेदन दिया हूँ जिसका आर० एल० नं० - EF541309427IN है दिनांक - 19/05/2023 है

उक्त आवेदन में वर्णित अभियाचना के सम्बन्ध में श्रीमान द्वारा क्या कार्यवाही की जानकारी मुझे देने की कृपा की जाय।

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि में की पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अन्तर्गत मुफ्त नहीं है । यह आपके विभाग से सम्बन्धित है ।
5. (i) मैंने 10 रु० रूपया शब्दों में दस रु० मात्र दिनांक 07/07/2023 की रसीद संख्या IPO 392607 T.P.O से विभाग / कार्यालय भुगतान किया है ।

   (ii) मैं डिमाण्ड ड्राफ्ट भुगतान आदेश संख्या.............दिनांक.............पदाधिकारी के पक्ष में भुगतेय.............बैंक द्वारा निर्गत फीस भुगतेय ।

   (iii) ....रू० का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है ।

   (iv) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाला परिवार का हूँ मेरा सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है ।

21/07/2023

SP

स्थान मधेपुरा (बिहार)

तिथि 14/7/23

आवेदक का हस्ताक्षर
सीताराम पंडित

ई मेल का पता अगर कोई हो

दूरभाष संख्या– 8051825137
9430653605

प्रपत्र 'ख'

आवेदन की प्राप्ति रसीद

प्रेषक :

लोक सूचना पदाधिकारी लोक सूचना पदाधिकारी सह महामहिम महोदय उपराष्ट्रपति भारत सरकार सह राज्य सभा अध्यक्ष - नई दिल्ली

....

....

(विभाग/कार्यालय)

आई० डी० सं०

तिथि.......................................

1. सूचना का अधिकारी नियमावली 2005 के नियम 3 के उप नियम (1) के अन्तर्गत विहित प्रपत्र 'क' में आवेदन

दिनांक....14/7/23....................श्री/श्रीमती/कुमारी.......[illegible]..............................
ग्राम..वार्ड नं० 20.....मधेपुरा..जिला...........मधेपुरा (बिहार).से प्राप्त किया ।

2. सूचना 30 दिनों के अन्दर दिया जायेगा । अगर यह पाया जाता है कि उचित सूचना देना संभव नहीं है, तो उसका कारण दिलाते हुए अथवा अनुरोध को स्वीकृत करते हुए एक पत्र निर्गत किया जायेगा ।

3. आवेदन 11:00 पूर्वाह्न से 1:00 बजे अपराह्न में अधोहस्तरक्षरों में दिनांक.30/6/23... (यहाँ तिथि का उल्लेख करें और आवेदन प्राप्त करने की तिथि से 30 दिनों के बाद का ना हो) को संपर्क करें ।

4. अगर आवेदक निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो तो लोक सूचना पदाधिकारी सूचना देने में विलंब के लिये जवाबदेह नहीं होंगे ।

5. सूचना और अभिलेख पूर्ण करने के पूर्व अगर कोई राशि फीस अथवा सुद का देय हो तो आवेदक को जमा करना होगा ।

लोक सूचना पदाधिकारी

विभाग :-

दूरभाष संख्या :-

ई मेल :-

वेबसाईट :-